न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकार ,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सौंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 17/07 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. सोहनलाल पुत्र बहराम जाति जाट निवासी ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम जिला अलवर

: अपीलांट

बनाम

1 राधेश्याम पुत्र श्योचन्द
2 सन्तरा पुत्री बहराराम
3 धनीराम पुत्र धडसी जाति जाट
4 चिरंजीलाल पुत्र धडसी जाति जाट
निवासीयान ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम जिला अलवर
5 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कोटकासिम
6 तहसीलदार कोटकासिम
7 उप पंजीयक कोटकासिम
8 नैराडो सिंटस प्रा0 लि0 प्लाट नं0 101, सैक्टर 25, फरीदाबाद हरियाणा जर्ये डायरेक्टर कैलाश चंद पुत्र पदमचंद गुप्ता निवासी फरीदाबाद हरियाणा ।

:------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 18.1.2007

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री संजीव जैन

निर्णय दिनांक 02.03.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 202/2006 में पारित निर्णय दिनांक 18.1.2007 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद आदेश 9 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में खारिज किया गया है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि दिनांक 2.11.2006 को प्रतिवादी की ओर से सुबेसिंह एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की थी । प्रतिवादी नम्बर 02 के सही पते पर तलवाना प्रस्तुत करने के आदेश तहत अदालत ने दिये थे । दिनांक 16.11.2006 एवं दिनांक 14.12.2006 को पीठासीन अधिकारी जी बाहर पधारे हुये थे । दिनांक 18.1.2007 को वाद वादीगण समन प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है । समन प्रस्तुत करने का एक ओर मौका दिया जाना चाहिये था । वादीगण अपीलांटस अपने मुकदमे की पैरवी नेकनियती से करना चाहते हैं । अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु रिमांड किया जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अनेक अवसर दिये जाने के बाद उन्होंने प्रतिवादीगण के समन प्रस्तुत नहीं किये । आदेश 9 नियम 5 के तहत पारित किये गये आदेश की अपील पोषणीय नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही आदेश 9 नियम 5 में दिये गये प्रावधानों का भी अध्ययन किया । आदेश 9 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है कि जहां वादी न्यायालय के आदेश के पश्चात 7 दिन के भीतर समन भरकर प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट द्वारा तहत अदालत में समन प्रस्तुत नहीं करने पर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है,जिसकी यह अपील है । प्रश्न यह उठता है कि क्या आदेश 9 नियम 5 के तहत पारित आदे श की अपील पोषणीय है

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अथवा नहीं । इसके सम्बन्ध में हमने आदेश 43 सी0 पी0 सी0 का अध्ययन किया । इसमें सी0 पी0 सी0 के तहत पारित किये गये आदेशों की अपीलों का हवाला दिया हुआ है । आदेश 9 नियम 5 सी0 पी0 सी0 के तहत पारित किये गये आदेश की अपील का कोई हवाला नहीं दिया गया है । तात्पर्य यह है कि आदेश 9 नियम 5 के तहत पारित किये गये आदेश की अपील संधारणीय नहीं है । हां, आदेश 9 नियम 5 के तहत वाद खारिज किये जाने पश्चात नया वाद लाने का प्रावधान आदेश 9 नियम 5 में किया गया है ।

5 अतः यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर